मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

UPSC CSE के लिए प्रासंगिकता:

- प्रिलिम्स के लिए प्रासंगिकता : मनी लॉन्ड्रिंग, मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), इसके संशोधन, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका, ED और राज्यों के बीच संघर्ष , और PMLA को लागू करने में ED की अधिकारिता से संबंधित विषय।
- मेंस के लिए प्रासंगिकता: PMLA कानून, मनीलॉन्ड्रिंग और इसके प्रभाव से जुड़े मुद्दे।

संदर्भ / समाचार में क्यों है?

- अगस्त 2025 में राजसभा में एक लिखित उत्तर के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2015 से अब तक मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 5,892 मामलों की जांच की है, लेकिन अब तक केवल 15 की दोषसिद्धि हो पायी हुई हैं।
- कम दोषसिद्धि दर PMLA की प्रभावशीलता और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठाती है।

PMLA का परिचय:

- मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002, भारत का प्रमुख कानून है , जिसे मनीलॉन्ड्रिंग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है।
  इसे मूल रूप से मादक पदार्थों की तस्करी , आतंकवाद के वित्तपोषण, और संगठित अपराध जैसी अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए लागू किया गया था , लेकिन समय के साथ यह व्यापक वित्तीय अपराधों को संबोधित करने के लिए विकसित हुआ है।
  वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनीलॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच करने , अवैध संपत्तियों को जब्त करने और अपराधियों के खिलाफ अभियोजन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

PMLA का मुख्य उद्देश्य:

- **रोकथाम:**वित्तीय लेन-देन में कड़ी अनुपालन सुनिश्चित करके मनीलॉन्ड्रिंग को रोकना।
- **जांच और अभियोजन:** अपराधी तत्वों को खोजने और उनके **खिलाफ कानूनी कार्यवाही** करना।
- **संपत्तियों की जब्ती:** अपराध से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करना , ताकि अवैध आर्थिक गतिविधियों को रोका जा सके।

PMLA की प्रमुख विशेषताएँ:

1. **धारा 3 - मनीलॉन्ड्रिंग की परिभाषा:**
   PMLA की **धारा 3 मनीलॉन्ड्रिंग को परिभाषित** करती है, जो किसी भी क्रिया या प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसका उद्देश्य अपराध से प्राप्त संपत्ति को वैध बनाना है। इसमें इन संपत्तियों को निर्दोष संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास या मदद भी शामिल है।

2. **PMLA के तहत अपराध:**
   PMLA कई प्रकार के अपराधों को कवर करता है, जिनमें **भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और मादक पदार्थों के तस्करी और मानसिक रूप से प्रभाव डालने वाली दवाओं से** संबंधित अपराध शामिल हैं। हालांकि, समय के साथ इसके दायरे को बढ़ाया गया है, और **अब छोटे अपराधों जैसे कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन** भी इसमें शामिल हैं। इस कानून का विस्तार करने को लेकर आलोचना की गई है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे गंभीर अपराधों से निपटना था।

3. **मनीलॉन्ड्रिंग के लिए सजा (धारा 4):**
   मनीलॉन्ड्रिंग का **अपराध 3 से 7 साल की कठोर सजा** के साथ दंडनीय होता है, साथ ही जुर्माना भी हो सकता है।

4. **प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका:**
   ED मनीलॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच करता है, अपराध से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करता है, और अभियोजन शिकायतें (PCs) दर्ज करता है। यह,यह भी सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संस्थान संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करें और ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करें।

5. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
   यह अधिनियम विदेशी सरकारों के साथ संयुक्त जांच के लिए संधियों और समझौतों के माध्यम से वैश्विक सहयोग की अनुमति देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों का पता लगाने और जब्त करने की क्षमता बढ़ती है।

PMLA प्रवर्तन में वृद्धि और चुनौतियाँ:

- 2014 में ED ने अपनी कार्रवाई को काफी बढ़ाया , जिसके बाद PMLA के तहत जांचों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, FY 2024-25 में 775 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बावजूद, दोषसिद्धि दर अभी भी कम है। ED का ध्यान अब मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से लेकर वित्तीय अपराधों, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के वित्तपोषण तक विस्तारित हो चुका है।

ED की बढ़ी हुई कार्रवाई:

- 2015 से 2025 तक, **ED ने 5,892 मामलों** को संभाला, लेकिन अब तक केवल 15 दोषसिद्धियाँ ही हुई हैं, जो दोषसिद्धि में कठिनाई और लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं।

PMLA से संबंधित चिंताएँ और मुद्दे (प्रदान की गई लेखों से विचारों को समाहित करते हुए)

1. **दुरुपयोग और अधिक पहुंच:**
    - प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर **PMLA के प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप** लगाया गया है, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में।
    - आलोचकों का कहना है कि ED की विस्तृत विवेकाधीन शक्तियाँ कानून का चयनात्मक और मनमाना उपयोग करने की अनुमति देती हैं , जिससे राजनीतिक विरोधियों को प्रभावित किया जाता है , और इस प्रकार संस्थान में सार्वजनिक विश्वास कमजोर होता है।

2. **सूक्ष्म अपराधों का समावेशन:**
    - जैसा कि पहले चर्चा की गई थी , PMLA अनुसूची में छोटे अपराधों जैसे कि कॉपीराइट उल्लंघन को शामिल करने पर चिंता जताई गई है।
    - ये **गैर-गंभीर अपराध** हैं, जो मूल रूप से मादक पदार्थों से प्राप्त धन के लॉन्ड्रिंग से निपटने के उद्देश्य से हटकर हैं।

3. **पारदर्शिता की कमी और सबूत का बोझ:**

- सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक यह है कि **PMLA के तहत आरोपी को अपनी निर्दोषता साबित करनी होती है** ,जो एंग्लो-सैक्सन कानूनी परंपरा के तहत निर्दोषता की धारा के विपरीत है।
- सबूत का बोझ पलटने को कानूनी विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है।

4. **ED की अत्यधिक शक्तियाँ:**

- PMLA ED को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है , जिसमें **गिरफ्तारी, गवाहों को तलब करना और संपत्तियों की तलाशी** लेना शामिल है।
- आलोचकों का कहना है कि **ये शक्तियाँ दुरुपयोग** का कारण बन सकती हैं , खासकर जब इन्हें उचित सुरक्षा उपायों के बिना प्रयोग किया जाता है।

5. **मूल अधिकारों का उल्लंघन:**

- यह कानून बुनियादी अधिकारों जैसे कि **उचित परीक्षण का अधिकार** और आत्म-आरोप से बचने का अधिकार भी प्रभावित करता है।
- **ECIR (Enforcement Case Information Report)** को आरोपी को न दिखाना , आरोपों से संबंधित जानकारी को आरोपी के पास न पहुंचने देना , आरोपों की जानकारी देने के अधिकार पर संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न करता है।

न्यायिक निगरानी और सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन:

- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की संवैधानिकता पर बार-बार निर्णय दिया है।
- 2018 में, निकेशतराचंद शाह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA की धारा 45, जो यह निर्धारित करती है कि आरोपी अपनी निर्दोषता साबित नहीं करता है तो जमानत नहीं मिल सकती, यह असंवैधानिक है।
- हालांकि, 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के प्रावधानों को बरकरार रखा , यह कहते हुए कि भारत का मनीलॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रति प्रतिबद्धता है, हालांकि प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंताएँ जरूर उठी थीं।

वैश्विक संदर्भ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- भारत की मनीलॉन्ड्रिंग विरोधी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता वैश्विक ढाँचों जैसे कि **वित्तीय क्रियावली कार्य बल (FATF)**में सामंजस्य से परिलक्षित होती है, जो मनीलॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक मानक स्थापित करता है।
- **वियना संधि (1988)** और **पालेरमो संधि (2000)** ने सहकारी वैश्विक उपायों की नींव रखी, जो देशों से आग्रह करती हैं कि वे सीमा पार अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए कड़े घरेलू कानून अपनाएँ।
- PMLA का अनुप्रयोग भारतीय सीमाओं से बाहर भी है , जो विदेशी एजेंसियों के साथ सहयोग और अन्य न्यायक्षेत्रों में स्थित संपत्तियों की जब्ती को सुनिश्चित करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अब वैश्विक वित्तीय अपराधों के इस युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता:

- **मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA)** भारत के आर्थिक अपराधों , विशेष रूप से मनीलॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में एक **महत्वपूर्ण उपकरण** है। हालांकि , इसके व्यापक दायरे, कठोर जमानत प्रावधानों और पारदर्शिता की कमी ने आलोचकों के बीच चिंता को जन्म दिया है, खासकर इसके बुनियादी अधिकारों पर प्रभाव के बारे में।

- कानून को प्रभावी और संवैधानिक बनाए रखने के लिए:

1. **"अपराध से प्राप्त संपत्ति" की स्पष्ट परिभाषा पेश** की जानी चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।
2. **ED की कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ाई** जानी चाहिए , और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

- विदित है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखता है , अंत: PMLA को प्रभावी प्रवर्तन और अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs):

2021:भारत में काले धन के सृजन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारत सरकार के लिए मुख्य चिंता का कारण रहा है?

(a) रियल एस्टेट की खरीदारी और लक्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का विचलन
(b) अप्रसन्न गतिविधियों में निवेश और कीमती रत्नों, गहनों, सोने, आदि की खरीदारी
(c) राजनीतिक दलों को बड़ी दान देने और क्षेत्रीयवाद का विकास
(d) कर चोरी के कारण राज्य खजाने को होने वाला राजस्व का नुकसान

उत्तर: (d)

UPSC अभ्यास प्रश्न:

प्रिलिम्स:

प्रश्न-1:मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं?

1. मनीलॉन्ड्रिंग को रोकना और वित्तीय अपराधों पर नियंत्रण पाना
2. एक निष्पक्ष और पारदर्शी बैंकिंग प्रणाली स्थापित करना
3. आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को अटैच और जब्त करना
4. विदेशी निवेशों और प्रेषणों को विनियमित करना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 3

(b) 1, 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

प्रश्न-2:मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों को लागू करने में कौन सी संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं?

1. प्रवर्तन निदेशालय (ED)
2. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
3. वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND)
4. गृह मंत्रालय

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 1 और 2

(c) 1, 2 और 3

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (a) केवल 1 और 3

मेंस:

1. **GS पेपर II:** मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, विशेष रूप से भारत में आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने में। इसके कार्यान्वयन के दौरान संवैधानिक और प्रक्रिया संबंधी चिंताओं पर चर्चा करें।
2. **GS पेपर III:** मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के संबंध में चिंताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें , विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में। साथ ही यह भी बताये कि PMLA को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच प्रक्रिया सुनिश्चित होने के साथमनीलॉन्ड्रिंग से प्रभावी रूप से निपटा जा सके?

(वैकल्पिक विषय)
OPTIONAL SUBJECT
GEOGRAPHY
OPTIONAL
Fee - मात्र 6499₹
केवल 21 से
26 जून

OPTIONAL
SUBJECT
वैकल्पिक विषय
PSIR
Fee - मात्र 6999₹
केवल 01 से
06 जुलाई
Dr. Faiyaz Sir